संख्या : 1945 / 69-1-97-01(एस.जे.)/97

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 12 दिसम्बर, 1997

नगरीय रोज़गार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग

विषय : राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. द्वारा संचालित "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना" (एस.जे.एस. आर.वाई.) का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सूडा द्वारा संचालित नेहरू रोज़गार योजना, यू.बी.एस.पी. तथा प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन योजना दिनांक 01 दिसम्बर, 1997 से "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना" (एस.जे.एस. आर.वाई.) के नाम से जानी जायेगी। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना का मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्र के निर्धन बेरोज़गार व्यक्तियों को स्वरोज़गार उद्यम की स्थापना अथवा मजदूरी रोज़गार के प्राविधान को प्रोत्साहन देकर लाभप्रद रोज़गार उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत सामुदायिक संरचना को मजबूत किया जाना, योजना का मुख्य लक्ष्य होगा। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना (एस.जे.आर. वाई.) का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा।

2. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों की प्रति सूडा द्वारा सभी जनपदों को उपलब्ध करा दी गयी है। तथापि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों की रूपरेखा के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकारी निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

(1) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना में केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य वित्त

पोषण को अनुपात 75:25 होगा। योजना में मुख्य रूप से दो कार्यक्रम समावेशित हैं– (अ) नगरीय स्वरोज़गार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.) तथा (ब) नगरीय मजदूरी रोज़गार कार्यक्रम (यू.डब्लू.ई.पी.)।

(2) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत कार्ययोजना तैयार करने के लिए पूर्व में ही अनुरोध किया जा चुका है। अतः तैयार की गयी कार्य योजना की एक प्रति तथा दिनांक 30.11.1997 को नेहरू रोज़गार योजना, यू.बी.एस.पी. एवं प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन योजना में अवशेष धनराशि की सूचना निर्धारित प्रारूप, की एक–एक प्रति सूडा एवं शासन को तत्काल उपलब्ध करायें (प्रारूप पुनः संलग्न)।

(3) योजनान्तर्गत प्रदत्त धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में व्ययार्तन न किया जाये, अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

(4) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम एवं पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार योजनान्तर्गत कराये जाने वाले सिविल निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–459/69-1-97-45 एन.आर.वाई./96, दिनांक : 13 अगस्त, 1996 के अनुसार जिला नगरीय विकास अभिकरण स्तर पर ही प्रदान की जायेगी। संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय में उपलब्ध वरिष्ठतम अभियन्ता कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार चूँकि सूडा, नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा और समस्त प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के रूप कार्य करेगा और समस्त प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिला नागर विकास अभिकरण को अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जाना है, को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित जिला नागर विकास अभिकरण (डूडा) से प्राप्त कार्ययोजना के आधार पर शासन यथावश्यक जनपदों को धन उपलब्ध करायेगा।

(6) योजनान्तर्गत प्रत्येक नगर स्तर पर एक "नगरीय गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ" स्थापित किया जायेगा। नगर स्तर पर गठित नगरीय गरीबी उन्मूलन निधि के खाते का संचालन पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1175/69-1-15 एन.आर.वाई./96 दिनांक 10 जनवरी, 1997 के अनुसार किया जायेगा।

(7) कार्ययोजना के आधार पर स्वीकृत कार्यों को भौतिक/वित्तीय सत्यापन एवं अनुश्रवण सूडा के द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

(8) प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर पूर्व की ही भांति प्रत्येक माह की 25 तारीख तक डूडा को उपलब्ध करायी जायेगी। डूडा द्वारा सभी नगरीय स्थानीय निकायों

की प्रगति रिपोर्ट एकत्रित एवं संकलित कर माह के अन्त तक शासन एवं सूडा को उपलब्ध करायेंगे। राज्य नागर विकास अभिकरण द्वारा सभी डूडा/कार्यकारी संस्थाओं की रिपोर्ट एकत्रित एवं संकलित की जायेगी और सूडा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उक्त प्रगति रिपोर्ट शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(9) प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति का अनुश्रवण एवं कार्यों की गुणवत्ता पर समीक्षा की जायेगी तथा पायी गयी कमियों के सुधार के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

(10) यू.पी.एस.पी. की ही भांति स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या 1494/69-197-68 एन.आर.वाई./94 टी.सी. दिनांक 03 अक्टूबर, 1997 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अतः स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से नियमानुसार कराये जाने वाले कार्यों के लिए डूडा स्तर पर प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को, उक्त गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु, शासन को उपलब्ध कराये।

(11) कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि का व्यय एवं रख–रखाव के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

(12) योजना के अभिसरण पर विशेष ध्यान किया जायेगा, अर्थात दूसरे विभागों के निधियों को योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में सम्मिलित करना होगा ताकि एक ही कार्य के लिए दोहरे व्यय से बचा जा सके।

3. चूंकि नेहरू रोज़गार योजना, यू.बी.एस.पी. एवं प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में धनराशि उपलब्ध है अतः उपलब्ध धनराशि से तैयार कार्ययोजना के आधार पर तत्काल कार्यान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अतः अनुरोध है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के कार्यान्वयन में तत्काल गतिशीलता लाये जाने हेतु समुचित कार्यवाही करने एवं तैयार कार्ययोजना को अविलम्ब सूडा एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(एस.एन. झा)
प्रमुख सचिव

संख्या : 1945 (1)/ 69-1-97-01(एस.जे.)/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.।

(3) समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम एवं समस्त अधिशासी अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

(4) समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा, उ.प्र.।

(5) निदेशक, यू.पी.ए., भारत सरकार शहरी कार्य और रोज़गार मंत्रालय, शहरी रोज़गार और गरीबी उपशमन विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

(6) प्रमुख/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।

(7) निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उपर्युक्तानुसार समस्त जनपद मुख्यालय को स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों की एक–एक प्रति उपलब्ध कराने एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एस.एन. झा)
प्रमुख सचिव